न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 11/2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025/43

प्रार्थी

चन्द्री पत्नी हनुमानाराम, जाति जाट, निवासी कीचक, तहसील मौलासर, जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

अप्रार्थी

1. उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना।
2. उपखण्ड अधिकारी (भू–रूपान्तरण अधिकारी), डीडवाना।
3. तहसल मौलासर एवं उपपंजीयक मौलासर।
4. फूले खां पुत्र सलावत खां
5. सरवर खां पुत्र सलावत खां
   समस्त जाति कायमखानी, निवासी बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
6. जीवणी बानो पत्नी नवाब खां जाति कायमखानी, निवासी बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
7. खादिम खान पुत्र फूले खान
8. गुलाब बानो पत्नी फूले खान
9. मोहम्मद अजीज खान पुत्र फूले खान
   समस्त जाति कायमखानी, निवासी बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
10. नजमा पत्नी नवाब खां, जाति कायमखानी, निवासी जतनपुरा, बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
11. इदरीश खान पुत्र सरवर खान, जाति कायमखानी, निवासी जतनपुरा, बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।
12. जमीला बानो पत्नी सरवर खां, जाति कायमखानी, निवासी जतनपुरा, बेरी खुर्द, तहसील मौलासर।

<u>मुन्तकिली आवेदन पत्र अधीन धारा 235 आर.टी.एक्ट</u>
<u>विरूद्ध उपखण्ड अधिकार, डीडवाना बाबत्</u>
<u>राजस्व प्रकरण संख्या 196/2024 बअनुवान चन्द्री बनाम सरवर खां</u>

उपस्थितः–

1. श्री हरफुल राव अधिवक्ता प्रार्थी की तरफ से।
2. श्री पंकज दाधिच अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 [illegible] की तरफ से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

–:आदेश:–

दिनांक : 07.04.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार है:–

1. प्रार्थीया/वादीया ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के यहां एक राजस्व वाद संख्या 196/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 127/2024 बअनुवान चन्द्री बनाम सरवर खां के नाम से पेश किया हुआ है जिसकी तारीख पेशी दिनांक 117.03.2025 की हैं।
2. यह हैं कि प्रार्थीया/वादीया ने उक्त दावा बाबत् घोषण खातेदारी, बंटवाड़ा व दिलाने कब्जा व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर पेश किये गये हैं। परन्तु अप्रार्थी खंख्या 4 व 5 जो कि राजनैतिक प्रभाव वाला व्यक्ति है जो अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त पत्रावली में अप्रार्थी फुले खां की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03–09–2024 प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 (ए) सीपीसी को राजनैतिक दबाव से स्वीकार कराने में लगा हुआ है जथा बार–बार अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी के साथ मिलकर उक्त दावे का विधि विरूद्ध फैसल कराने की फिराक में है तथा उक्त प्रकरण की तारीखे भी विधि अनुसार ना देकर अपनी मर्जी से दी जा रही है तथा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने बावजुद स्थगन आदेश के विधि विरूद्ध उक्त भूमि को बिना बंटवारा के ही आवासीय प्रयोजनार्थ व वाणिज्य प्रयोजनार्थ कर आबादी में कर दी। जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रर्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी डीडवाना/भू–रूपान्तरण अधिकारी अप्रार्थी फुले खां के साथ मिला हुआ है। दिनांक 07.03.2025 को स्पष्ट रूप से धमकी दी और कहा कि प्रार्थीया का दावा उक्त प्रार्थी पत्र आदेश 07 नियम 11(ए) सी.पी.सी. को स्वीकार कर उक्त दावा प्रार्थीया का खारिज कर दुंगा।
3. यह है कि उक्त जमीन प्रार्थी की पैतृक जमीन हैं। वर्तमान में फुले खां व सलावत खां राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त वाद को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत उक्त वाद को खारिज करवाना चाहता है जथा उक्त दावा को खारिज करके अप्रार्थी उक्त जमीन को आगे खुर्द बुर्द करने के फिराक में है। प्रार्थीया को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से न्याय की कतई उम्मीद नहीं हैं।
4. यह हैं कि वर्तमान उपखण्ड अधिकारी डीडवाना राजनैतिक एवं अन्य दबाव में है एवं उनके द्वारा मनमर्जी से विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर उक्त दावा को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सीपीसी के तहत खारिज करने पर आमादा हैं।
5. यह है कि उक्त पत्रावली की तारीख पेशी दिनांक 07.03.2025 नियम थी। परन्तु उक्त पत्रावली की तारीख पेशी अब दिनांक 17.03.2025 को मुकर्रर की है। मगर फुले खां प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11(ए) सीपीसी को स्वीकार करवाकर उक्त जमीन को आगे खुर्द बुर्द करने ध[illegible] है। इस कारण प्रार्थीया को उक्त प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिए भी उक्त वाद अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अन्तरित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

6. यह हैं कि प्रार्थीया उक्त प्रकरण में निष्पक्ष निर्णय चाहती हैं। किन्तु उपरोक्त परिस्थितियों को देखते हुए निष्पक्ष न्याय के लिए यह आवेदन पेश करना पड़ रहा है।

अतः उक्त आवेदन पेश कर निवेदन हैं कि राजस्व वाद संख्या 196/2024 व प्रार्थना पत्र संख्या 127/2024 बअनुवान चन्द्री बनाम सरवर खां को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के यहां से किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने का सादर आदेश फरमावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 04 ता 12 की तरफ से वकील श्री पंकज दाधिच ने वकालतनामा व जवाब पेश किया।

अप्रार्थी संख्या 4 ता 12 की ओर से प्रस्तुत जवाब के तथ्य निम्न प्रकार है:–

1. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 1 सही होने से स्वीकार हैं।
2. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 2 गलत बयानी में होने से अस्वीकार है। वादीयां/प्रार्थीया ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अवश्य प्रस्तुत किया है। परन्तु उक्त वाद व प्रार्थना पत्र झुठे एवं मिथ्या कथनों पर आधारित होने व वादीनी को कोई वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने विधि अनुसार आदेश 07 नियम 11(ए) सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र पेश किया । जिसमें सुनवाई भी हो चुकी है। परन्तु वादीनी प्रकरण ने जानबुझ कोई सुनवाई नहीं करवाना चाहती है। प्रकरण को अनावश्यक लम्बा करने की नियत से दौराने सुनवाई न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडरवाना के समक्ष हस्तगन प्रार्थना पत्र की प्रति पेश की ओर न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं होना बताया जो कि कतई व गलत हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादीनी/प्रार्थीया स्वयं द्वारा इसी न्यायालय से प्रतिवादी/अप्रार्थी पक्ष रिकॉडेड टीनेन्ट कब्जाधारी के विरूद्ध दिनांक 25.07.2025 को एकतरफा स्टे आदेश प्राप्त कर रखा हैं। प्रार्थीया/वादीनी का उद्देश्य केवल मात्र प्रतिवादी पक्ष को खर्चे से जैर बार करने व मानसिक प्रताड़ित करना है।

प्रार्थीया का यह कथन सरासर गलत हैं कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हो, जो अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त पत्रावली में अप्रार्थी फुल्ले खां की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2024 अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11(ए) सी.पी.सी. को राजनैतिक दबाव से स्वीकार कराने में लगा हुआ हों, बल्कि प्रतिवादी ने विधि अनुसार आवेदन प्रस्तुत किया। जिसका वादीनी/प्रार्थीया की ओर से जवाब पेश करने हेतु लगातार अवसर लेते रहे तथा 4–5 माह पश्चात दिनांक 29.01.2025 को आदेश 07 नियम 11ए सीपीसी प्रार्थना पत्र का वादीनी/प्रार्थीया ने जवाब पेश किया तथा उसी दिवस वादीनी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर नजीरे (रूलिंग) पेश करने हेतु अवसर लिया गया। न्यायालय ने अवसर दिया। उपरोक्त परिस्थितियों में वादीनी स्वयं अवसर लेती रही है तो इस पद में वादीनी के अभिवचन अपने आप में झुठे प्रमाणित हो जाते है। वादीनी का यह कथन गलत हैं कि ब[illegible]अधिकारी के साथ मिलकर उक्त दावे को विधि विरूद्ध फैसल कराने की नि[illegible] तथा उक्त प्रकरण की तारीखें भी विधि अनुसार ना देकर अपनी मर्जी से दी [illegible] हो, उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने बावजुद स्थगन आदेश के विधि वि[illegible] उक्त भूमि को बिना बंटवाड़ा के ही आवासीय प्रयोजनार्थ व वाणिज्य प्रायोजना[illegible]कर आबादी में कर दी हो। उक्त कथन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:06 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी/प्रार्थीया ने अपनी सुविधा अनुसार झठे अंकित किये हैं। न्यायालय से प्रार्थीया ने रिकॉडेड खातेदार कब्जाधारी के विरूद्धएकतरफा स्टे आदेश दिनांक 25..07.2024 को प्राप्त किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 4 ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की। जिसमें वादीनी/प्रार्थीया के अधिवक्ता उपस्थित हुए। दोनो पक्षो की विधि अनुसार सुनवाई कर दिनांक 01.10.2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश दिनांक 25.07.2024 की पालना प्रभाव एवं क्रियान्विती को आगामी पेशी तक स्थगित किया। निसके विरूद्ध वादीनी/प्रार्थीया ने रेवेन्यू वोर्ड अजमेर में निगरानी संख्या 7509/2024 पेश की जो दिनांक 04.11.2024 को खारिज कीं। इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी डीडवाना द्वारा आवादी व वाणिज्य प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन स्टे आदेश के दौरान नहीं किया हैं तथा विधि अनुसार पूर्ण कार्यवाही कर किया हैं। वादीनी का यह कथन गलत हैं कि उपखण्ड अधिकारी डीडवाना/भू–रूपान्तरण अधिकारी अप्रार्थी फुल्ले खां से मिला हुआ हो। यह भी गलत है कि दिनांक 07.03.2025 को स्पष्ट रूप से धमकी दी हो और कहा हो कि प्रार्थीया का दावा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11ए सीपीसी का स्वीकार कर उक्त दावा खारिज कर दुगां। उक्त कथन वादीनी ने झुठें एवं अपनी सुविधा अनुसार गलत अंकित किये है।

3. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 3 गलत होने से अस्वीकार हैं। यह गलत हैं कि उक्त जमीन वादीनी/प्रार्थीया की पैतृक हो, यह भी गलत हैं कि वर्तमान में फुल्ले खां व सलावत खां राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त वाद को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11ए सीपीसी तहत खारिज करवाना चाहता हो, बल्कि उक्त वाद में वादीनी को कोई वाद हैतुक उत्पन्न नहीं होने से प्रतिवादी ने विधि अनुसार प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसमें वादीनी ने सुनवाई हेतु समुचित अवसर लिये हैं। प्रतिवादी/अप्रार्थीगण की खातेदारी, कब्जा सुदा भूमि हैं जों उनके पिता स्व. सलावत खां द्वारा खातेदार हरजीराम से दिनांक 22.01.1959 व दिनांक 15.10.1979 कों प्रतिफल की राशि अदा कर रजिस्टर्ड खरीद की है तथा उक्त बैचाण से ही स्व. सलावत खां को खातेदारी व कब्जा प्राप्त हुआ। स्व. सलावत खां के पश्चात् उत्तरदाता अप्रार्थी पक्ष को अपनी भूमि को हर प्रकार से उपयोग व अपभोग में लेने का अधिकार है।

4. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 4 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया/वादीनी ने स्वयं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. सिविल रिट नम्बर 19071/24 प्रस्तुत की तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.01.2025 के अनुसार न्यायालय सहायक कलेक्टर में लम्वित प्रकराण का एक माह के भीतर दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर निस्तारण करने का आदेश हो रखा है। वादीनी प्रकरण में जानबुझ कर सुनवाई करवाकर मामले का निस्तारण करवाना नहीं चाहती है। इस प्रकार वादीनी ने केवल मात्र प्रकरण को लम्वर रहने की नियम से झुठे आरोप लगाकर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खारिज होने योग्य है।

5. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीया ने इस पद में पूर्णरूप से झुठे अभिकथन किये हैं, जि[illegible]ता से कोई वास्ता नहीं है।

6. प्रार्थना पत्र का पद संख्या 6 गलत [illegible] से [illegible]कार है। वादीनी स्वयं ने माननीय उच्च न्यायालय में रि[illegible] एक माह में निस्तारण करने का आदेश प्राप्त किया है। उक्त आदेश पारित हुए करीब डेढ़ माह से अधिक समय हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:06 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

चुका हैं। अब जानबुझ कर प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीया/वादीनी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाने की कृपा करावें।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। अप्रार्थीगण राजनैतिक दबाव में प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय कराने पर आमदा है। अतः उक्त पत्रावली किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने की कृपा करावें।

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीनी स्वयं ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट नम्बर 19071/24 पेश कर एक माह में निस्तारण करने का आदेश प्राप्त किया है। उक्त आदेश पारित हुए करीब डेढ़ माह से अधिक समय हो चुका हैं। अब जानबुझ कर प्रकरण को लम्बा करने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया हैं जो खारिज होने योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर से प्रकरण में तीस दिवस में निस्तारण के निर्देश दिये गये। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि माननीय न्यायालय राज0 उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्देशों की पालना करते हुए उभय पक्ष को सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक **07.04.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2025.05.02 12:13:06 IST
Reason: SelfAttested